भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1039
सोमवार, 29 जुलाई, 2024/7 श्रावण, 1946 (शक)

गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों का कल्याण

1039. डॉ. मोहम्मद जावेद:
श्री तनुज पुनिया:
श्री राजकुमार चाहर:
श्री गौरव गोगोई:
श्री हरीश चंद्र मीना:
डॉ. अमर सिंह

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गिग और प्लेटफार्म कामगारों को सामाजिक कल्याण सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई कल्याणकारी योजना और कार्यनीति शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को गिग और प्लेटफार्म कामगारों के बीच स्वास्थय बीमा कवरेज में महत्वपूर्ण अंतर की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस अंतर को पाटने और गिग तथा प्लेटफार्म कामगारों के लिए बीमा कवरेज में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (घ): गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण संबंधी प्रावधान पहले ही सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में समाविष्ट किए गए हैं जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है।

इस संहिता में गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए जीवन और निःशक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण, इत्यादि से संबंधित मामलों में सामाजिक सुरक्षा उपाय का निर्धारण करने का उपबंध किया गया है। इस संहिता में कल्याण योजना को वित्तपोषित करने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा निधि स्थापित करने का उपबंध भी किया गया है।

संहिता के उपबंध अभी लागू नहीं हुए हैं।

******